2.1

परियोजना का नाम– जनपद बागेश्वर में मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या –886/2017 के अन्तर्गत ग्राम खोली में खेल मैदान का निमार्ण कार्य।

प्रतिवेदन

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत शासनादेश सख्या 341/(02)/XXXV-4 घोषणा/2017 दिनांक 18 दिसम्बर, 2017 द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। प्रस्तावित मैदान वास्तविक सर्वे के अनुसार लम्बाई 3.509 है0 आती है। भारत सरकार से वन भूमि स्वीकृति उपरान्त राज्य सरकार द्वारा खेल मैदान निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत की जायेगी।

मुख्यालय क्षेत्र में शहरी/ग्रामीण स्तर पर खेल व खिलाड़ियों के विकास हेतु स्टेडियम न होने, खेल के प्रति संसाधन व सुविधाओं की कमी के कारण क्षेत्र में ग्रामीण स्तर पर बच्चों के खेल प्रतिभा का सृजन करने एवं राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने के उद्येश्य से क्षेत्र के ग्राम खोली में खेल मैदान हेतु जमीन अधिग्रहण को कवायद शुरू की गई है। खेल योजना के अभाव में मुख्यालय में ही खिलाड़ी उबड़–खाबड़ मैदान पर खेल प्रतियोगिता आयोजित की जाती रही है। सरकार के द्वारा जिला मुख्यालय में खेल मैदान निर्माण की घोषणा के उपरान्त योजना को त्वरित गति से लगातार प्रयास किये जा रहें है। राज्य खेल के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है लेकिन अभी भी इसमें और बेहतर करने की क्षमता है लेकिन समुचित खेल के मैदान न होने से विद्यार्थी/खिलाड़ी इससे वंचित रह जाते है। खेल मैदान निर्माण हेतु न्यूनतम आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावित किया गया है। जिसमें अवशेष मलवा निस्तारण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रस्तावित स्थल में कुल 2.848 है0 वन भूमि एवं 0.000 नाप भूमि तथा विभिन्न प्रजाति एवं व्यास के कुल 15 वृक्ष प्रभावित हो रहें है। यह क्षेत्र चीड़ बाहूल्य क्षेत्र है जिसमें प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में चीड़ के वृक्ष प्राकृतिक रूप से उगते है। खेल मैदान निर्माण के उपरान्त 5–6 वर्ष के अन्दर स्वतः ही उगने की वजह से काटे जाने वाले वृक्षों की क्षतिपूर्ति हो जायेगी। उल्लेखनीय है कि जनपद बागेश्वर में लगभग 71 प्रतिशत भू–भाग वनाछादित है। जनहित में बुनियादी ढ़ांचे के विकास, पर्यटन को बढ़ावा देने, वनों की सुरक्षा, पहाड़ी क्षेत्र से पलायन रोकने, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन हेतु वन भूमि के उपयोग के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। अतः उपरोक्त कारणों से इस खेल मैदान का निर्माण वन भूमि में प्रस्तावित किया गया है जो अपरिहार्य एवं औचित्यपूर्ण है।

उक्त स्थल का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा मैदान निर्माण हेतु तकनीकी, पर्यावरणीय एवं भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। अतः प्रभावित होने वाही 2.848 है0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन एवं खेल विभाग को हस्तान्तरण तथा 15 वृक्षों के पातन की स्वीकृति प्रदान करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव प्रेषित किया जा रहा है। भविष्य में इस मैदान के निर्माण हेतु और वन भूमि की आवश्यकता नहीं होगी।

उप क्रीड़ा अधिकारी
बागेश्वर

जिला क्रीड़ा अधिकारी
बागेश्वर